**न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ऊधम सिंह नगर**

उपस्थित : आशुतोष कुमार मिश्र, उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा

**बेदखली अपील संख्या 231 सन् 2023**

Filling No.944 of 2023

CNR No.UKUS010046022023

C.No.231 of 2023

पुष्कर सिंह भण्डारी
निवासी ग्राम नगला पंतनगर,
जिला ऊधम सिंह नगर।

**...अपीलार्थी**

**प्रति**

1. उत्तराखण्ड राज्य,
द्वारा कलक्टर, ऊधम सिंह नगर।
2. विहित प्राधिकारी/परगनाधिकारी, किच्छा,
जिला ऊधम सिंह नगर।

**...प्रत्यर्थीगण**

**विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी:** श्री पीयूष पंत।

**विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण:** श्री बरीत सिंह
जिला शासकीय अधिवक्ता
(सिविल), रूद्रपुर जिला—ऊधम सिंह नगर।।

संस्थित करने का दिनांक 09—10—2023

बहस सुनने की तिथि— 09—07—2025

निर्णय दिनांक— 29—07—2025

**दिनांक 29—07—2025** **<u>निर्णय</u>**

अपीलार्थी द्वारा यह अपील उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू—गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 (जैसा कि उत्तराखण्ड में प्रवृत्त है तथा इसे आगे संक्षेप में 'अधिनियम' कहा गया है)

की धारा 9 के अधीन विहित प्राधिकारी／उपजिलाधिकारी किच्छा, जिला ऊधम सिंह नगर (इसे आगे संक्षेप में 'विहित प्राधिकारी' कहा गया है) द्वारा बेदखली वाद संख्या 22／338 सन् 2021 उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अधिशासी अभियंता प्रति पुष्कर सिंह (इसे आगे संक्षेप में 'प्रश्नगत बेदखली वाद' कहा गया है) में पारित निर्णय／आदेश दिनांकित 27–09–2023 (इसे आगे संक्षेप में 'प्रश्नगत निर्णय' कहा गया है) से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत निर्णय से विहित प्राधिकारी ने अपीलार्थी को ग्राम नगला, तहसील किच्छा, ऊधम सिंह नगर के खसरा संख्या 348 के मध्य क्षेत्रफल 47.70 वर्ग मीटर, जिसकी चौहद्दी पूरब में रेलवे लाईन, पश्चिम में एस.एच. 44, उत्तर में रमेश चन्द्र वर्मा, दक्षिण में गोधन बिष्ट है (इसे आगे संक्षेप में 'विवादित सम्पत्ति' कहा गया है) से बेदखल करने का आदेश पारित किया।

**2.** संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि विद्वान विहित प्राधिकारी के समक्ष अधिशासी अभियंता प्रा.ख. लोक निर्माण विभाग रूद्रपुर, जिला ऊधम सिंह नगर द्वारा यह कथन करते हुए प्रश्नगत वाद／रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया कि प्रांतीय खण्ड, लो.नि.वि. रूद्रपुर के अधीन नगला–किच्छा राजमार्ग संख्या 44 में ग्राम नगला, तहसील किच्छा के खसरा संख्या 348 के मध्य क्षेत्रफल 47.70 वर्ग मीटर, जिसकी चौहद्दी पूरब में रेलवे लाईन, पश्चिम में एस.एच. 44, उत्तर में रमेश चन्द्र वर्मा, दक्षिण में गोधन बिष्ट है, पर विपक्षी／अपीलार्थी द्वारा अप्राधिकृत अध्यासन बना दिया गया है, जिसे बेदखल किया जाना आवश्यक है। उक्त भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि है। लोक मार्ग के किनारे स्थित अतिक्रमण को हटाए जाने हेतु माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में सिविल रिट याचिका संख्या 56 सन् 2021 पी.आई.एल. अमित पाण्डेय प्रति उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य विचाराधीन है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27–05–2021 को नियमानुसार अतिक्रमण हटाए जाने की कार्यवाही किए जाने हेतु आदेश पारित किया गया। अतः विपक्षी／अपीलार्थी को विवादित सम्पत्ति से बेदखल कर अतिक्रमण हटाया जाए।

**3.** अधिशासी अभियंता, प्रा.ख.लो.नि.वि. रूद्रपुर द्वारा अपनी रिपोर्ट के

साथ मौका नक्शा, खतौनी की प्रतिलिपि, प्राधिकार पत्र इत्यादि विहित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए। उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् विद्वान विहित प्राधिकारी ने प्रश्नगत बेदखली वाद के रूप में पंजीकृत किया तथा दिनांक 02–08–2021 को अपीलार्थी/विपक्षी को अधिनियम की धारा 4 (1) के अधीन नोटिस जारी करते हुए दिनांक 16–08–2021 को उपस्थित होकर यह कारण बताने हेतु निर्देशित किया कि विवादित सम्पत्ति से बेदखली का आदेश क्यों न दिया जाए ?

**4.** नोटिस अपीलार्थी/विपक्षी पर तामील हुआ। नोटिस प्राप्ति के पश्चात् दिनांक 16–08–2021 को अपीलार्थी/विपक्षी विद्वान जरिए अधिवक्ता उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु समय प्रदान करने का अनुरोध किया गया। विहित प्राधिकारी द्वारा अपीलार्थी/विपक्षी को आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय प्रदान किया गया। कालान्तर में दिनांक 24–11–2021 को अपीलार्थी/विपक्षी द्वारा अपनी आपत्ति प्रस्तुत किया गया।

**5.** प्रत्यर्थी संख्या 01/वादी उत्तराखण्ड राज्य सरकार की ओर से विद्वान विहित प्राधिकारी के समक्ष साक्षी के रूप में प्रकाश लाल, सहायक अभियंता, पंचम लोक निर्माण विभाग, रूद्रपुर, ऊधम सिंह नगर को न्यायालय में परीक्षित कराया गया एवं दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नक्शा, राजस्व अभिलेखों व निर्णय की प्रति प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी/विपक्षी द्वारा विद्वान विहित प्राधिकारी के समक्ष कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अपीलार्थी/विपक्षी ने प्रत्यर्थी संख्या 01 के साक्षी प्रकाश लाल की प्रतिपरीक्षा भी नहीं किया।

**6.** अपीलार्थी/विपक्षी द्वारा विद्वान विहित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत आपत्ति के कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि नोटिस अपूर्ण तथा तथ्यों के विरुद्ध है तथा नोटिस जारी करते समय अधिनियम की धारा 4 का अनुपालन नहीं किया गया है। अधिशासी अभियंता की आख्या में अतिक्रमण का समय नहीं दर्शाया गया है केवल खसरा नम्बर 348 की भूमि पर अप्राधिकृत अध्यासन दिखाया गया है, जो गलत है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क से 50 मीटर बाहर पूरब को छोड़ी गई भूमि है, जो

राजस्व विभाग की भूमि बतलाई गई है। यह भूमि एक पट्टी की भांति बाई पास गेट से नगला चौराहा तक है। विपक्षी इस भूमि पर 1970 से काबिज चले आ रहा है और वर्तमान में उसके पास विद्युत विभाग द्वारा विद्युत संयोजन चला आ रहा है। पूर्व के अभिलेखों में विवादित भूमि राजस्व भूमि में दर्ज दी थी तथा वर्तमान में विभागीय त्रुटि से यह भूमि पी.डब्ल्यू.डी. विभाग का दर्शाई गई है। विहित प्राधिकारी को मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। विवादित सम्पत्ति पर अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होता है। विवादित सम्पत्ति सार्वजनिक भू–गृहादि की श्रेणी में नहीं आती है। विपक्षी का विवादित सम्पत्ति पर अध्यासन वर्ष 1935 के पूर्व से चला आ रहा है और उसके अधिकार लिखत खातेदार के विरुद्ध पूरे हो चुके हैं। विवादित सम्पत्ति विपक्षी/अपीलार्थी को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ था। अतः पंजीकृत वाद एवं नोटिस निरस्त किया जाए।

**7.** प्रश्नगत निर्णय से विद्वान विहित प्राधिकारी ने अपीलार्थी/विपक्षी के विरुद्ध प्रेषित नोटिस प्रपत्र 'क' स्वीकार किया तथा यह धारित किया कि विवादित भूमि लोक निर्माण विभाग की भूमि है और दर्ज राजस्व अभिलेख है, जिस पर विपक्षी द्वारा सार्वजनिक भू–गृहादि पर अनाधिकृत अध्यासन किया गया है। तद्नुसार, विद्वान विहित प्राधिकारी ने अपीलार्थी/विपक्षी को बेदखल करने हेतु प्रपत्र 'ख' पर कब्जा आदेश जारी करने का आदेश पारित किया।

**8.** विद्वान विहित प्राधिकारी द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश से क्षुब्ध होकर यह अपील निम्नवत् आधारों पर संस्थित किया गया है–

क. प्रश्नगत निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्य के विपरीत है।

ख. विवादित भूमि सार्वजनिक भू–गृहादि नहीं है तथा उस पर सार्वजनिक गृहादि अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

ग. अपीलार्थी/विपक्षी लोक निर्माण की भूमि खसरा संख्या 348 ग्राम नगला, तहसील किच्छा, जिला ऊधम सिंह नगर पर अध्यासित नहीं है। ऐसी परिस्थिति में विवादित सम्पत्ति पर अधिनियम की धारा 4 के

प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

घ. विहित प्राधिकारी के समक्ष समस्त कार्यवाही एक संयुक्त जांच आख्या पर आधारित है। संयुक्त जांच आख्या मौके पर भू–राजस्व अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के विपरीत तैयार किया गया है।

ड़. अपीलार्थी/विपक्षी को विहित प्राधिकारी द्वारा लोक निर्माण विभाग के साक्षी से जिरह का अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध प्रश्नगत आदेश पारित किया गया।

**9.** विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि विद्वान विहित प्राधिकारी द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय/आदेश अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पारित किया गया है। अपीलार्थी/विपक्षी विद्वान विहित प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत किया, परन्तु कालान्तर में उपस्थित नहीं हुआ, जिस कारण उसे जिरह व तर्क प्रस्तुत करने का अवसर स्वयं की अनुपस्थिति के कारण प्राप्त नहीं हो सका, इसमें विहित प्राधिकारी की कोई त्रुटि नहीं है। प्रश्नगत निर्णय पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर विस्तृत विवेचना के पश्चात पारित किया गया है। प्रश्नगत अपील सकारण है। यह अपील युक्ति–युक्त आधारों पर प्रस्तुत नहीं की गई है तथा बलहीन होने के कारण खारिज होने योग्य है।

**10.** सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

## <u>विवेचना एवं निष्कर्ष</u>

**11.** इस सिविल अपील के निस्तारण हेतु निम्नवत् अवधार्य प्रश्न विरचित किये जाते हैं–

1. क्या विवादित सम्पत्ति सार्वजनिक भू–गृहादि की श्रेणी में आता है?

2. क्या विद्वान विहित प्राधिकारी द्वारा अपीलार्थी/विपक्षी को सुनवाई का अवसर दिया गया?

3. क्या प्रश्नगत निर्णय त्रुटिपूर्ण है?

**निस्तारण अवधार्य प्रश्न संख्या–01**

**12.** अवधार्य प्रश्न संख्या–01 इस प्रकार है कि ''क्या विवादित सार्वजनिक सम्पत्ति भू–गृहादि की श्रेणी में आता है?''

**13.** अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रूद्रपुर, जिला ऊधम सिंह नगर का विद्वान विहित प्राधिकारी के समक्ष कथन था कि विवादित सम्पत्ति खसरा नम्बर 348 के मध्य क्षेत्रफल 47.70 वर्ग मीटर ग्राम नगला, तहसील किच्छा, ऊधम सिंह नगर राजस्व अभिलेखों में सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज है। इस पर विपक्षी द्वारा अप्राधिकृत अध्यासन बनाया गया है। इस कथन के विरुद्ध अपीलार्थी/विपक्षी का कथन है कि विवादित सम्पत्ति सार्वजनिक भू–गृहादि की परिभाषा में नहीं आती है और ना ही विवादित सम्पत्ति सार्वजनिक अथवा राजकीय भू–सम्पदा है।

**14. अधिनियम की धारा–2(ख) भू–गृहादि को निम्नवत् परिभाषित करती है–**

**''धारा–2(ख)** ''भू–गृहादि'' का तात्पर्य किसी भूमि (जिसके अंतर्गत कोई वन भूमि या उस पर लगे हुए वृक्ष, अथवा जलाच्छादित भूमि, या राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित कोई सड़क अथवा ऐसी सड़क से संलग्न भूमि भी है), या किसी भवन अथवा किसी भवन के भाग से है, और इसके अंतर्गत,–

(1) उक्त भवन या भवन के भाग के अनुलग्न उद्यान, मैदान तथा बाह्य गृह यदि कोई हो, भी है, और

(2) उक्त भवन या उसके भाग में उसके और अधिक लाभकारी उपयोग के लिए लगाए गए कोई फिटिंग्स या फिक्सचर्स अथवा उसके लिए दिया गया कोई फर्नीचर भी है;

किन्तु इसके अंतर्गत ऐसी भूमि नहीं है, जो यूनाइटेड प्राविसेज टेनेंसी, एक्ट 1939, 1950 ई. का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम, उत्तर प्रदेश नगर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम, 1956, कुमायूं तथा उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश तथा भूमि–व्यवस्था अधिनियम, 1960, उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 अथवा उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत–सीमा आरोपण अधिनियम, 1960

के अधीन तत्समय–

(1) किसी गांव सभा अथवा किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबंध में निहित हो या सौंपी गई हो, अथवा

(2) किसी खातेदार द्वारा धृत हो।''

**15. अधिनियम की धारा–2(ड़) सार्वजनिक भू–गृहादि को निम्नवत् परिभाषित करती है–**

**''धारा–2(ड़)** ''सार्वजनिक भू–गृहादि'' का तात्पर्य किसी ऐसे भू–गृहादि से है, जो, राज्य सरकार का हो या उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से पट्टे पर लिया गया या अधिगृहीत किया गया हो, और इसके अंतर्गत कोई ऐसा भू–गृहादि भी है, जो–

(1) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा–3 में यथापरिभाषित किसी ऐसी कम्पनी जिसमें कम से कम इक्यावन प्रतिशत दत्त अंश पूंजी राज्य सरकार द्वारा धृत हो; या

(2) किसी स्थानीय प्राधिकरण; या

(3) उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन स्थापित और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी ऐसे निगम (जो कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा–3 में यथापरिभाषित कम्पनी या कोई स्थानीय प्राधिकरण न हो); या

(4) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी, जिसके शासी निकाय में, सोसाइटी के नियमों या विनियमों के अधीन, पूर्णतः लोक अधिकारी, या राज्य सरकार के नामांकिती, अथवा दोनों हों;

का हो या उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से पट्टे पर लिया गया हो, और इसके अंतर्गत–

(1) कोई ऐसा भू–गृहादि भी है जो किसी स्थानीय प्राधिकरण को सौंपा गया हो (जिसके अंतर्गत ऐसे स्थानीय प्राधिकरण को भूमि सौंपे जाने के पश्चात् राज्य सरकार की भूमि पर सरकारी निधियों से बनाया गया कोई भवन भी है);

(2) कोई भू–गृहादि जो भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन

राज्य सरकार की सहमति से किसी कम्पनी के लिए (जैसा उक्त अधिनियम में परिभाषित है) अर्जित किया गया हो और उस कम्पनी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा–41 के अधीन निष्पादित ऐसे अनुबंध के अधीन धृत हो, जिसमें कतिपय दशाओं में राज्य सरकार द्वारा पुनः प्रवेश करने की व्यवस्था हो।''

**16.** इस प्रकार, स्पष्ट है कि सार्वजनिक भू–गृहादि, ऐसी भू–गृहादि है, जो राज्य सरकार की हो या उसके द्वारा पट्टे पर लिया गया हो या अधिगृहीत किया गया हो। प्रश्नगत बेदखली वाद में पत्रावली पर प्रस्तुत खतौनी की सत्यप्रति में खसरा नम्बर 348 क्षेत्रफल 2.150 हेक्टेयर ग्राम नगला, तहसील किच्छा, ऊधम सिंह नगर सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज है तथा खातेदार का नाम सार्वजनिक निर्माण विभाग अंकित है। विद्वान विहित प्राधिकारी का यह निष्कर्ष रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य से प्रश्नगत भूमि राजकीय भूमि होना सिद्ध है और उसका सार्वजनिक उपयोग व उपभोग का होना सिद्ध है तथा विपक्षी/अध्यासी का उस पर कोई स्वामित्व नहीं है। उसका अनाधिकृत अध्यासन प्रश्नगत भूमि पर है तथा वह बेदखल किए जाने योग्य है।

**17.** अपीलार्थी/विपक्षी द्वारा कोई ऐसा प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, जो यह तथ्य साबित करता हो कि विवादित सम्पत्ति अपीलार्थी/विपक्षी की है या सार्वजनिक निर्माण विभाग के अलावा किसी अन्य से संबंधित है। इस संबंध में अपीलार्थी/विपक्षी ने विद्वान विहित प्राधिकारी के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह तथ्य साबित हो कि अपीलार्थी/विपक्षी विवादित सम्पत्ति का स्वामी है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि विद्वान विहित प्राधिकारी के समक्ष अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग द्वारा सारवान साक्ष्य प्रस्तुत किया गया कि विवादित सम्पत्ति राजस्व अभिलेखों में सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम से दर्ज है, जो निःसंदेह रूप से उत्तराखण्ड सरकार की सम्पत्ति के अंतर्गत आती है और इस प्रकार, विवादित सम्पत्ति सार्वजनिक भू–गृहादि की श्रेणी में आती है तथा इस पर अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। तद्नुसार अवधार्य प्रश्न संख्या–01 अपीलार्थी/विपक्षी के विरुद्ध निष्कर्षित किया जाता है।

**निस्तारण अवधार्य प्रश्न संख्या–02 व 03**

**18.** अवधार्य प्रश्न संख्या–02 व 03 इस प्रकार हैं ''क्या विद्वान विहित प्राधिकारी द्वारा अपीलार्थी/विपक्षी को सुनवाई का अवसर दिया गया ?'' तथा ''क्या प्रश्नगत निर्णय त्रुटिपूर्ण है ?''

ये दोनों अवधार्य प्रश्न एक दूसरे से परस्पर सम्बन्धित होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

**19.** अपीलार्थी/विपक्षी का तर्क है कि विद्वान विहित प्राधिकारी ने उसे लोक निर्माण विभाग के साक्षी से जिरह करने और तर्क प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्यों के विरुद्ध प्रश्नगत निर्णय पारित किया। प्रश्नगत बेदखली वाद की पत्रावली के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि विद्वान विहित प्राधिकारी द्वारा दिनांक 02–08–2021 को प्रारूप 'क' में अपीलार्थी/विपक्षी को नोटिस जारी करते हुए दिनांक 16–08–2021 को उपस्थित होकर यह कारण बताने हेतु निर्देशित किया गया कि विवादित सम्पत्ति से अपीलार्थी/विपक्षी को क्यों न बेदखल करने का आदेश पारित किया जाए ? नोटिस प्राप्ति के पश्चात् दिनांक 16–08–2021 को अपीलार्थी/विपक्षी अपने अधिवक्ता के माध्यम से विद्वान विहित प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। विद्वान विहित प्राधिकारी द्वारा दिनांक 08–10–2021 को अपीलार्थी/विपक्षी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया गया। कालान्तर में दिनांक 24–11–2021 को अपीलार्थी/विपक्षी ने आपत्ति प्रस्तुत किया और उसके पश्चात् कालान्तर में विद्वान विहित प्राधिकारी के समक्ष उपसंजात नहीं हुआ। दिनांक 03–08–2022 को साक्षी प्रकाश लाल के उपस्थित होने पर तथा विपक्षी के अनुपस्थित रहने पर विद्वान विहित प्राधिकारी ने जिरह हेतु न्यायहित में अवसर प्रदान किया। कालान्तर में दिनांक 20–01–2023 को विपक्षी तथा उसके अधिवक्ता के उपस्थित न होने पर विद्वान विहित प्राधिकारी ने प्रतिपरीक्षा का अवसर समाप्त किया।

**20.** इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि विद्वान विहित प्राधिकारी द्वारा अपीलार्थी/विपक्षी को सुनवाई हेतु युक्ति–युक्त अवसर प्रदान किया गया।

विद्वान विहित प्राधिकारी के समक्ष अपीलार्थी/विपक्षी आपत्ति प्रस्तुत करने के बाद स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। अतः अपीलार्थी/विपक्षी का यह तर्क युक्ति संगत नहीं है कि विद्वान विहित प्राधिकारी ने उसे सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध प्रश्नगत निर्णय पारित किया।

**21.** विद्वान विहित प्राधिकारी की पत्रावली के परिशीलन ये यह स्पष्ट होता है कि विपक्षी/अपीलार्थी द्वारा केवल आपत्ति प्रस्तुत किया गया। आपत्ति में किए गए कथनों के समर्थन में कोई दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। पत्रावली पर अपीलार्थी/विपक्षी के आपत्ति में किए गए कथनों को समर्थन/सम्पुष्ट करने के लिए साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है। अपीलार्थी/विपक्षी यह तथ्य साबित करने में असफल रहा है कि विवादित सम्पत्ति पर वह किस अधिकार से काबिज है तथा विवादित सम्पत्ति का वास्तविक स्वामी सार्वजनिक निर्माण विभाग के अलावा कौन है ?

**22.** प्रश्नगत निर्णय से यह भी स्पष्ट है कि विद्वान विहित प्राधिकारी ने मामले के सम्पूर्ण तथ्यों, पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्यों एवं विधिक उपबंधों की विस्तृत विवेचना करने के पश्चात् प्रश्नगत निर्णय सकारण पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि या अनियमितता नहीं है। प्रश्नगत बेदखली वाद की पत्रावली पर अपीलार्थी/विपक्षी द्वारा अपने समर्थन में आपत्ति के अतिरिक्त कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अपील के प्रक्रम पर भी अपीलार्थी/विपक्षी द्वारा कोई साक्ष्य न्यायालय की अनुमति से प्रस्तुत नहीं किया गया।

**23.** तद्नुसार, न्यायालय का निष्कर्ष है कि विद्वान विहित प्राधिकारी ने अपीलार्थी/विपक्षी को सुनवाई हेतु युक्ति–युक्त अवसर प्रदान किया, जिसका लाभ लेने में स्वयं अपीलार्थी/विपक्षी असफल रहा है। प्रश्नगत निर्णय सकारण है और उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि या अनियमितता नहीं है। अतः अवधार्य प्रश्न संख्या–02 एवं 03 अपीलार्थी/विपक्षी के विरुद्ध निष्कर्षित किए जाते हैं। इस प्रकार, यह अपील निरस्त होने योग्य है।

**आदेश**

अपीलार्थी/विपक्षी द्वारा प्रस्तुत यह बेदखली अपील संख्या 231 सन् 2023 पुष्कर सिंह प्रति उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य निरस्त की जाती है।

इस निर्णय की प्रति सहित विद्वान विहित प्राधिकारी की पत्रावली विद्वान विहित प्राधिकारी को अविलम्ब प्रेषित किया जाए।

इस अपील की पत्रावली अभिलेखागार प्रेषित हो।

(आशुतोष कुमार मिश्र)
दिनांकः 29—07—2025 प्रथम अपर जिला न्यायाधीश,
ऊधम सिंह नगर।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर न्यायालय में सुनाया गया।

(आशुतोष कुमार मिश्र)
दिनांकः 29—07—2025 प्रथम अपर जिला न्यायाधीश,
ऊधम सिंह नगर।